

22/24 निति 1/5 करण बाण
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

15/7/24.

उपरोक्त पत्र पत्रको

वादीगण / प्राथीगण के प्राठ पत्र
 पर तल्लकी गई। प्राथीगण/वादीगण

मय सचिवता उपस्थित है। प्राथीगण

की पहचान उनके वकील/नातल में
 की है। वादीगण/प्राथीगण को

सुना, उ-होम निवेदन किया है

कि पत्र प्राप्त के मध्य राजी पाया
 हो गया है। वाद में कोई कार्यवाही

नहीं। वादों के फलतः वाद विद्वा
 करण का निवेदन किया है।

स्वेच्छा से वाद विद्वा करण स्वीकार
 है। स्वयं तथ्यों से प्रमाण

को देवते हुए वादीगण का वाद
 किया किस्म कार्यवाही के

With Drawn किया जाता है।

तथापि वाद पत्राठ

निवेदन होकर वाद तल्लकी जाय।

उपरोक्त कार्यवाही 15/7/24

उपखण्ड अधिकारी
 कोटकासिम (खैरथल-तिजारा) राज०

किमला
 कृति
 सुधी
 इति. 2024

